भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

एनसीयूआई भवन, चौथी मंज़िल, 3, सीरी इंस्टीट्यूश्नल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
हौज़ खास, नई दिल्ली-110016, दूरभाष:- 49536496, 49092978

Warehousing Development and Regulatory Authority

Govt. of India

NCUI Building, 4th Floor, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi – 110016, Tel. No. 49536496, 49092978

NO.WDRA-2018-i-i-Tech/771 दिनांक: 31 मई, 2019

परिपत्र

विषय: - रेपोजिटरी के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदो (ई-एनडब्लूआर) को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में जारी करना ।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2019 परिपत्र सं. डब्ल्यूडीआरए-2018-i-i-Tech/368 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो 01 जून, 2019 से परक्राम्य भंडारण रसीदों (ई-एनडब्लूआर) को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में जारी करने के संबंध में है । इस संबंध में इस कार्यालय को भांडागारपालों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि रेपोजिटरी सिस्टम में भांडागारों के ऑनबोर्ड करने, उन्हे ग्राहक का खाता खोलने, परिचित करने, उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में कठिनाइयां आ रही हैं । तदनुसार उन्होनें ई-एनडब्लूआर को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोनिक प्रारूप मे जारी करने की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है । अनुरोधों पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर प्राधिकरण ने सभी पंजीकृत भांडागार द्वारा ई-एनडब्लूआर को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में जारी करने की तारीख **01 अगस्त, 2019** तक बढ़ा दी है । अत: इसके बाद कोई भांडागारपाल परक्राम्य भांडागार रसीद भौतिक रूप में जारी नहीं करेगा तथा सभी रसीदें रिपोजिटरी प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में जारी की जायेंगी ।

तथापि भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) 01.06.2019 से किसी भांडागारपाल को और भौतिक एन डब्लू आर पुस्तिकाएँ जारी नहीं करेगा ।

(गणेश ए बाकड़े)

निदेशक (प्र. एवं वित्त.)

सेवा में,

प्राधिकरण के साथ पंजीकृत सभी भांडागारपाल।

टिप्पणी : संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ देखें ।